न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 60/2017 G.C.M.S. No. 2017/00414 दर्ज दिनांक : 27.09.2017

अपीलार्थी:

मृतक अचलसिंह के विधिक वारिश चुन्नीलाल पुत्र अचलसिंह जाति पुरोहित निवासी ढोला शासन तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

प्रत्यर्थिगण:

बनाम

1. चतराराम पुत्र हिराजी,
2. पेमाराम पुत्र बाबुजी,
3. टिकमाराम पुत्र बाबुजी,
4. रताराम पुत्र ओटा जी तमाम जाति मेणा निवासीगण ढोला शासन तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1008/2015 बअनवान अचलसिंह बनाम चतराराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री पवन सिंघल विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 15.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1008/2015 बअनवान अचलसिंह बनाम चतराराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम ढोला शासन, पटवार हल्का ढोला में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 612 रकबा 0.92 हैक्टयर आयी हुई है, जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 रकबा 0.65 हैक्टयर में से 6 मीटर चौडाई का रास्ता चाहा गया। जिसे मातहत न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना खारिज किया गया। अधीलाधीन आदेश अटल सेवा केन्द्र ढोला राजस्व लोक अदालत में पारित किया है न तो अपीलांट उपस्थित था न ही अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस दिया। अपीलांट उम्र में करीब 95 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था जो किसी सुरत में केम्प में उपस्थित आने में असमर्थ था जिसका एक महिने बाद मे देहान्त भी हो गया है ओर बाला बाला एक तरफा निर्णय केवल भूमिधारी जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का स्वजातिय अधिकारी था जिसने रेस्पोडेन्ट को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से अपने अधीनस्थ पटवारी से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कराके एक तरफा निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्व लोक अदालत मे वो ही निर्णय किये जाते है जो आपसी समझौता से निर्णित हो सकते है। यहां तो अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 612 रकबा 0.92 हेक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 613 जो पूर्व मे रतनसिंह, रामसिंह, प्रतापसिंह पुत्र सरदारसिंह जी से रेस्पोडेन्ट ने खरीदी है जिस खसरा नम्बर 613 मे से लगातार अपने खेत के कृषि कार्य हेतु व सुखाधिकार के तौर पर ग्राम ढोला से बड़गावरा जाने वाले मार्ग से होते हुये खसरा नम्बर 613 में से दक्षिणी पूर्वी माठ खसरा नम्बर 665 के लगते हुये अर्थात के सहारे कदिमी से इस भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के तौर पर बतौर सुखाधिकार करता रहा है लेकिन इन रेस्पोडेन्ट ने इस जमीन को अर्थात खसरा नम्बर 613 को जैसे की अपने जबाब तारीख 6.10.2016 को सन 2012 में खरीदना बताया है साथ मे यह भी बताया है कि हमने इसमे मकान निर्माण किया है जबकि प्रथम तो यह कृषि भूमि है ओर कृषि भूमि को अकृषि काम मे कोई काश्तकार लेता है तो टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत भूमिधारी का दायित्व बनता है कि उस भूभुमि को सिवाय चक बनाने के लिये कार्यवाही सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर सुमेरपुर के यहा कार्यवाही प्रस्तुत करते लेकिन नहीं की गयी। ऐसा ही प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित धारा 91 के तहत स्वंय भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर को भी अधिकार था लेकिन उसने कोई कार्यवाही नही की क्योकि भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर मीणा जाति का व्यक्ति है इसलिये अपनी जाति का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने से कानून को ताक में रखकर अपनी ओर से एक तरफा रिपोर्ट को पेश कर व अपना जबाब देकर यह कह दिया कि अपीलांट खसरा नम्बर 604 व 605 की माठ के सहारे सहारे अपने खेत में आ जा सकता है जबकि खसरा नम्बर 604 व 605 मे से आज दिन तक अपीलांट न तो अपने खेत खसरा नम्बर 612 में गया है न ही इसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग व उपभोग किया है। खसरा नम्बर 613 अपीलांट के परिवार के लोगो की खातेदारी थी जिन्होने रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दी जिस जमीन खसरा नम्बर 613 से 612 में जाने के लिये केवल एक खसरे मे ही रास्ता खोलाने की आवश्यकता रहेगी व मुआवजा भी खसरा नम्बर 613 का ही देना पड़ेगा व रास्ता भी नजदीक भी है व पूर्व से अपीलांट इस भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के तौर पर करता रहा है। खसरा नम्बर 604 व 605 में से न तो कभी गुजरा है न ही ऐसे रास्ते का उपयोग किया है। ये ही नहीं खसरा नम्बर 604 व 605 दो खसरे का मुआवजा अपीलांट को देना पड़ेगा जबकि वहा पर मौके पर रास्ता मौजुदा नहीं है। पटवारी राजस्व राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि प्रार्थी अपने भाई बंधु के खसरा नम्बर 604 व 605 से गुजर सकता है ओर भी लिख दिया कि आना जाना करते है जो रिपोर्ट व जबाब गलत पेश किया है इससे भी साफ जाहिर है कि अपनी रिपोर्ट मे तो भाई बंधु, बताता है जबकि खसरा नम्बर 613 में से जो भी रतनसिंह वगैरह की खातेदारी जो अपीलांट के भाई बंधु ही थे जिसमे से अपीलांट पीढ़ियो से खसरा नम्बर 665 के सहारे सहारे खसरा नम्बर 613 की दक्षिणी पूर्वी माठ से गुजरा है जैसा कि आवेदन के साथ प्रस्तावित नक्शा पेश है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित मामले को बिना साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधिन आदेश पारित किया है व कानून का गला घोटा है। अपीलाधिन आदेश अपीलांट की गैर हाजरी में तारीख 26.5. 2017 को पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलांट को तारीख 21.8.2017 को जब प्राप्त हुई जब अपीलांट अपने खेत खसरा नम्बर 612 मे जाने लगा त्तो रेस्पोडेन्ट रताराम ने अपीलांट को जाने से रोका ओर कहा कि फैसला हमारे हक में हो गया है तब अपीलांट दुसरे दिन अपने अधिवक्ता से सुमेरपुर जाकर सम्पर्क किया तो उन्होने भी जाहिर किया कि कोर्ट से पता करते है तब पता चला कि केम्प राजस्व लोक अदालत ढोला में लगा था और वही पर निर्णय हो गया है तब आवेदन संख्या 162 तारीख 22.8. 2017 को पेश किया जो नकल तैयार होकर 23.8.3017 को दी गई जिस ज़ानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। वैसे अपीलांट के पिता के नाम से प्रकरण चल रहा था ओर अपीलांट के पिता का तारीख 25.6.2017 को देहान्त हो गया इसलिये अपीलांट ने छानबिन कर इस प्रकरण का पता किया जिस जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधिन आदेश को मय खर्चा निरस्त फरमावे तथा अपीलांट को खसरा नम्बर 612 में जाने के लिये खसरा नम्बर 613 मे से दक्षिण पूर्वी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गाठ जो खसरा नम्बर 665 के सहारे सहारे कदिमी रास्ता मौजुदा रहा है उसमे से रास्ता खुलवाने का विधि संगत आदेश फरमावे नियमानुसार जो भी रास्ते की भुमि दी जायेगी उसका मुआवजा बाजारू दर से अपीलाण्ट देने को तैयार है।

अपील में मयाद के बिन्दु सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम ढोला शासन, पटवार हल्का ढोला में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 612 रकबा 0.92 हैक्टयर आयी हुई है, जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 613 रकबा 0.65 हैक्टयर में से 6 मीटर चौडाई का रास्ता दिलाने हेतु अधीनस्थन न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्त अपील प्रस्तुत की गयी। जो लगभग 64 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंबकाल के कारण व माफ करने के लिए मुख्य रूप से यह आधार है कि अपीलाधिन आदेश अपीलांट की गैर हाजरी में तारीख 26.5.2017 को पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलांट को तारीख 21.8.2017 को जब प्राप्त हुई जब अपीलांट अपने खेत खसरा नम्बर 612 मे जाने लगा त्तो रेस्पोडेन्ट रताराम ने अपीलांट को जाने से रोका ओर कहा कि फैसला हमारे हक में हो गया है तब अपीलांट दुसरे दिन अपने अधिवक्ता से सुमेरपुर जाकर सम्पर्क किया तो उन्होने भी जाहिर किया कि कोर्ट से पता करते है तब पता चला कि केम्प राजस्व लोक अदालत ढोला में लगा था और वही पर निर्णय हो गया है तब आवेदन संख्या 162 तारीख 22.8. 2017 को पेश किया जो नकल तैयार होकर 23.8.3017 को दी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिस जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। वैसे अपीलांट के पिता के नाम से प्रकरण चल रहा था ओर अपीलांट के पिता का तारीख 25.6.2017 को देहान्त हो गया इसलिये अपीलांट ने छानबिन कर इस प्रकरण का पता किया, जिस जानकारी से अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील में 64 दिवस का विलम्ब है, जो दीर्घ विलम्ब नहीं है। हमारे विन्रम अभिमत में प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक न किया जाकर गुणावगुण के आधार किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई अवसर दिया जाना आवश्यक है साथ ही प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण विलम्ब कारित साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्बकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत् अप्रार्थीगणको सूचित किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा न ही प्रकरण में उभयपक्षकारान् द्वारा कोई राजीनामा/सहमत्ति आदि निष्पादित की गयी है। प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार द्वारा उभयपक्षकारान् को सूचित करते हुए मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदि तैयार नहीं किया गया है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट्स बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1008/2015 बअनवान अचलसिंह बनाम चतराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न अधिकारी से उभयपक्षकारान को सूचित करवाते हुए जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने विनिश्चय का आधार व कारण दर्शित करते हुए स्पीकिंग आदेश के साथ गुणावगुण के आधार पर प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 10.11.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner